फार्म 'अ'
(परिपत्र दो–1 की कण्डिका 6 देखिये)

राजस्व आदेश पत्र(रेव्हेन्यू ऑर्डर शीट)

अनुविभागीय अधिकारी(रा0) कोरबा के न्यायालय में मामला क्रमांक सन् 202606050100037 2025–2026
विषय–................अवैध रूप से वृक्ष कटाई...........प्रकरण की श्रेणी......................अ–62..........................2025–2026
ग्राम ....करूडीह.........बन्दोबस्त क्रमांक...........पटवारी हल्का क्रमांक ....तहसील–.....कोरबा....
कलेक्टर का कमांक..............सन्................अनुविभागीय अधिकारी का क्रमांक ....सन्............2025–2026
तहसीलदार का क्रमांक.......................सन्.....................नायब तहसीलदार का क्रमांक..................सन्..................

आदेश कमांक कार्यवाही की तारीख और स्थान	पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर सहित आवेदन पत्र अथवा कार्यवाही छ0ग0शासन **बनाम** आकाश सिंह कंवर	जहां आवश्यक हो, पक्षों अथवा वकीलों के हस्ताक्षर, आदेशों का पालन करने वा लिपिक के संक्षिप्तहस्ताक्षर और इसे पालन की तारीख
17/06/2026	–कार्यालय वन परिक्षेत्र अधिकारी कोरबा, परिक्षेत्र कोरबा के पत्र कमांक/के0बी0/980 कोरबा, दिनांक 11/05/2026 के अनुसार कोरबा परिक्षेत्र अंतर्गत दिनांक 16.04.2026 को ग्राम कुरूडीह (ठाकुरदिया) थाना उरगा तहसील कोरबा जिला कोरबा छ.ग. से वाहन क्रमांक CG&07 Ck-5753 अशोका लिलैण्ड वाहन द्वारा लकड़ी लोड कर परिवहन किये जाने की सूचना मुखबिर द्वारा प्राप्त हुआ, तभी परिसर रक्षक पण्डरीपानी श्री बलराम राठिया बी.एफ.ओ. द्वारा अपने दल–बल के साथ ग्रामीण एवं संयुक्त वन प्रबंधन समिति अध्यक्ष के साथ घटना स्थल पर पहुंच कर, वाहन चालक श्री गुलधन ध्रुव वल्द गौर सिंह ध्रुव साकिन सरगांव जिला मुंगेली से पुछताछ करने पर उनके द्वारा बताया गया है कि वाहन क्रमांक CG07CK5753 अशोका लिलैण्ड वाहन को किराया में लाया गया है। उक्त वाहन में, बरगद एवं आम प्रजाति के खड़े 02 नग खड़े वृक्षों की कटाई निजी भूमि स्वामी श्री आकाश सिंह कंवर पिता कृपा राम कंवर साकिन कुरूडीह से 2–2 हजार प्रति वृक्ष पर सौदा किया गया है एवं कटाई कर परिवहन किया जा रहा है। जिससे संबंधित व्यक्ति से परिसर रक्षक पण्डरीपानी द्वारा वृक्ष कटाये जाने की अनुज्ञा एवं परिवहन अनुज्ञा पत्र मांग करने पर कोई भी अन्य वैद्य दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया। जिससे मौके पर वैद्यानिक कार्यवाही करते हुए वाहन को वनमण्डल कार्यालय कोरबा में ला–कर खड़ा किया गया है। संबंधित व्यक्ति के द्वारा 02 नग बरगद एवं आम प्रजाति के वृक्ष की कटाई स्वयं की निजी भूमि खसरा क्रमांक 88/2 रकबा 0.660 हेक्ट. से किया जाना बतलाया गया है। जिसका मौका जांच परिक्षेत्र सहायक कोरकोमा के द्वारा किया गया, जांच में मौका स्थल भूमि खसरा क्रमांक 88/2 रकबा 0.660 हेक्ट, में बरगद प्रजाति के वृक्ष की 01 नग एवं आम प्रजाति की वृक्ष	

01 नग कुल 02 नग ठूंठ प्राप्त हुआ किन्तु खसरा क्रमांक 88/2 रकबा 0.660 हेक्ट. की बी–1 के अनुसार वृक्षों का पंजीयन होना नही पाया गया है। वृक्ष कटाई राजस्व क्षेत्र होने के कारण भू–राजस्व संहित की धारा 240 एवं 241 का उल्लंघन होना पाया गया। प्रकरण में नियमानुसार कार्यवाही हेतु प्राप्त हुई है।

–प्रकरण ऑन लाईन दर्ज हो।

–प्रकरण में संलग्न दस्तावेजों का परिशीलन किया गया।

–कार्यालय वन परिक्षेत्र अधिकारी कोरबा, परिक्षेत्र कोरबा के पत्र क्रमांक/के0बी0/980 कोरबा, दिनांक 11/05/2026 के अनुसार अनावेदक के द्वारा 01 नग बरगद एवं 01 नग आम के वृक्ष बिना किसी सक्षम अधिकारी के अनुमति से काटा गया है। अतः 01 नग बरगद पेड़ एवं 01 पेड़ आम को काटकर परिवहन करने से छ0ग0भू0रा0संहिता की धारा 258 की उपधारा(2) के खण्ड (इकसठ) (बासठ) सहपठित धारा 240, 241 में बनाये गये प्रावधानों के तहत बिना अनुमति के काटने के कारण 02 वृक्ष को काटने के कारण 25,000/–, 10,000/– कुल 35,000/–(पैंतीस हजार रूपये अनावेदक आकाश सिंह कंवर पिता कृपा राम कंवर, निवासी–कुरूडीह, तहसील व जिला–कोरबा, छ0ग0 को शास्ति अधिरोपित किया जाता है। अनावेदक शास्ति राशि जमा करें।

–वन परिक्षेत्र अधिकारी कोरबा को पत्र जारी कर वाहन में लोड लकड़ी को अपने सुपर्द में रखकर उक्त वाहन क्रमांक CG07CK5753 अशोका लिलैण्ड को अनावेदक/वाहन मालिक के सुपुर्द किया जावे।

–तत्पश्चात् प्रकरण नस्तीबद्ध कर दाखिल दफ्तर हो।

अनुविभागीय अधिकारी(रा0)
कोरबा,छ0ग0